I/58528/2023

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
<u>(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)</u>

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 520 दिनांक 18.06.2022 द्वारा सुश्री नेहा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00999) के विरूद्ध बिना सक्षम प्राधिकार के अवकाश स्वीकृत कराए शिविर कार्यालय से अनुपस्थित रहने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के ई–ऑफिस पत्रांक I/31121 दिनांक 29.08.2022 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पशटीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। आरोपित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर नोडल पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त किया गया है।

आरोपित के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं प्राप्त स्पशटीकरण एवं नोडल पदाधिकारी के मंतव्य का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया कि आरोपित द्वारा अपनी भूल को स्वीकार किया गया है। परन्तु इनके द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने एवं कार्यो की प्रगति धीमी रहने के दृष्टिगत इनके मानदेय से 15 दिनों के मानदेय की कटौती करते हुए सुश्री नेहा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00999) को स्पशटीकरण से मुक्त किया जाता है। साथ ही चेतावनी दी जाती है कि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में की जाएगी, तो इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।

Signed by Jai Singh
Date: 18-03-2023 21:12:40

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :–

1. सुश्री नेहा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00999), बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा।
2. बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।